25.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, बनारसी राय, सेवानिवृत्त, पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, कृषि विभाग, औरंगाबाद (पी पी ओ सं0–327308) के पेंशन खाता सं0–2784000300043551 में पेंशन पुनरीक्षण की राशि से 4641 रू0, टी0 डी0 एस0, काटने का प्रमाण पत्र पंजाब नैशनल बैंक द्वारा परिवादी को उपलब्ध न कराने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पंजाब नैशनल बैंक से प्रतिवेदन की मांग की गई। मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " We are enclosing herewith month wise TDS report in which on SI. No.-7, it has been mentioned that Rs. 4641/- has been deducted in June, 2020 as TDS in A/c No. 2784000300043551 of Sri Banarasi Roy. There was no PAN in this account at the time of deduction of TDS.

Now after inclusion of PAN No. in the A/c, required correction has already been done and TDS amount Rs. 4641/- can be downloaded in updated 26AS."

अब जबकि परिवादी के पेंशन पुनरीक्षण में प्राप्त राशि स काटे गये टीo डीo एसo को नियमानुसार परिवादी के Income Tax PAN संख्या के 26AS में दर्शाया जा चुका हैं तो ऐसी परिस्थिति में **मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–27–17 / प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

> (उज्ज्वल कुमार दुबे) सदस्य

निबंधक